आईसीयू में ऑक्सीजन सिलेंडर बदलते समय रेगुलेटर में विस्फोट

रेगुलेटर की जगह अगर सिलेंडर में विस्फोट होता तो बड़ा हादसा हो सकता था

बीकानेर, (कासं) । पीबीएम अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में स्थित आईसीयू में उस समय भगदड़ मच गई, जहां वहां ऑक्सीजन सिलेंडर के रेगुलेटर में विस्फोट हो गया। वहां भर्ती मरीजों के परिजन इस विस्फोट से इतना घबराए कि कोमा में भर्ती अपने मरीजों को छोड़कर बाहर भाग गए। कुछ ही देर में स्थिति सामान्य होने पर रोगियों की सुध ली गई। शुक्र रहा कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई और भर्ती मरीजों को कोई परेशानी नहीं हुई।

दरअसल, पीबीएम अस्पताल की पहली मंजिल पर आईसीयू में भर्ती एक रोगी को किसी जांच के लिए बाहर ले जाना था। ऑक्सीजन सपोर्ट पर चल रहे इस मरीज का सिलेंडर बदला जा रहा था। छोटे सिलेंडर पर शिफ्ट करते वक्त अचानक विस्फोट हो गया। ये विस्फोट ऑक्सीजन के अनियंत्रित होकर बाहर निकलने और रेगुलेटर में विस्फोट होने से हुआ था।

विस्फोट की आवाज तेज थी, रेगुलेटर सहित कुछ सामान भी विस्फोट से टूटकर इधर-उधर चला गया। जिससे वहां भर्ती मरीजों के कुछ परिजनों के चोट भी आई। तेज धमाका होने के कारण वहां भर्ती मरीजों के परिजनों में भगदड़ मच गई। जो मरीज होश में थे, वो भी काफी घबरा गए। परिजन अपने मरीजों को छोड़कर बाहर की ओर भागे। बाहर भर्ती मरीज भी दूसरी ओर भागने लगे। अन्य वार्ड में भर्ती मरीज और उनके परिजन भी घबरा गए।

■ **पीबीएम अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में भगदड़**

थोड़ी ही देर में अस्पताल में ड्यूटी दे रहे रेजीडेंट डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मी मौके पर पहुंच गए। रेजीडेंट डॉक्टर्स ने हौसला रखते हुए स्थिति को और मरीजों को भी संभाला। इस दौरान किसी मरीज के कोई परेशानी नहीं हुई। घटना के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए।

अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बड़े से छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर कौन बदल रहा था ? ये काम नर्सिंग कर्मचारी का है लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति ये काम कर रहा था। अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि मरीज की ओर से किसी बाहरी व्यक्ति को सिलेंडर बदलने के लिए कहा गया था अथवा अस्पताल का ही कोई कर्मचारी बदल रहा था ?

शुक्र रहा कि सिर्फ रेगुलेटर तक ही ये विस्फोट हुआ, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। अस्पताल के कर्मचारी कमल व्यास ने घटना की जानकारी मिलने के साथ ही आईसीयू में पहुंचकर सिलेंडर को उठाया और बाहर लेकर आ गया। जब लोग इस सिलेंडर के पास जाने से घबरा रहे थे, तब व्यास ने सिलेंडर को निकालकर सुरक्षित स्थान पर रखा।

दूसरी पत्नी की संतान अनुकम्पा नियुक्ति की हकदार: हाईकोर्ट

अनुकंपा नियुक्ति देने की पॉलिसी किसी मृतक कर्मचारी के आश्रित बच्चों को वैध या अवैध का भेदभाव नहीं कर सकती

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी की मौत के बाद उसकी दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चे को अनुकंपा नियुक्ति देने से मना नहीं किया जा सकता है। अनुकंपा नियुक्ति देने की पॉलिसी किसी मृतक कर्मचारी के आश्रित बच्चों को वैध या अवैध का भेदभाव नहीं कर सकती है।

बीकानेर निवासी मोहनसिंह सिंचाई विभाग में कार्यरत था। उसकी दो पत्नी और एक पुत्र है। मोहनसिंह का 8 अप्रैल 2002 को निधन होने के बाद उसकी दूसरी पत्नी चन्द्रा देवी ने पति के स्थान पर मृतक आश्रितों को नौकरी देने के नियमों के तहत अनुकंपा नियुक्ति देने का आवेदन किया। उसका आवेदन 7 जून 2003 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वह वैधानिक रूप से मोहनसिंह की पत्नी नहीं है। राज्य सरकार के इस निर्णय के खिलाफ चन्द्रा देवी ने हाईकोर्ट में वर्ष 2004 में याचिका दायर की। इस याचिका का निस्तारण होने में 10 साल से अधिक का समय लग गया। इस दौरान चन्द्रा देवी ओवरएज हो गई। ऐसे में 6 अप्रैल 2017 को उसकी याचिका का निस्तारण करते हुए हाईकोर्ट ने चंद्रा देवी से कहा कि वह चाहे तो अपने बेटे के लिए अनुकंपा नियुक्ति देने का आवेदन कर सकती है। इसके बाद उसने अपनी याचिका वापस ले ली। इसके बाद चन्द्रा देवी ने अपने पुत्र जतिन सिंह को उसके पिता मोहनसिंह का मृतक आश्रित मान अनुकंपा नियुक्ति देने का सिंचाई विभाग में आवेदन किया। विभाग ने 15 जून 2017 को उसका यह आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया कि दूसरी पत्नी के बच्चे को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है।

■ **सिंचाई विभाग ने मृतका के बच्चे का आवेदन दूसरी पत्नी का बच्चा होने के आधार पर खारिज कर दिया था**

विभाग के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। न्यायाधीश कुलदीप माथुर की बेंच ने इस याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट व्याख्या कर चुका है। अभिभावकों की शादी की वैधता को लेकर मृतक आश्रितों के बच्चे को अनुकंपा नियुक्ति देने के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आदेश दिया कि यदि जतिन सिंह अन्य सभी योग्यताएं पूर्ण करता है तो उसे तीन माह के भीतर नियुक्ति प्रदान की जाए।

मेले में व्यवस्थाएं सुधरीं

भरतपुर, (निस)। एक बार फिर कडी मशक्कत के बाद श्री जसवंत प्रदर्शनी एवं नुमाईश मेला स्थल को सही करने की कोशिशे सफल होती दिख रही है। नगर निगम प्रशासन एवं मेला के व्यापारियों की कड़ी मेहनत के बाद एक बार फिर से शहर के लोगों के लिए श्री जसवंत प्रदर्शनी एवं नुमाईश मेला लगभग तैयार हो चुका है। नगर निगम प्रशासन तो मेला स्थल से पानी निकासी के प्रयास कर रही रहा है वहीं झूला व्यापारियों ने भी मेला की सतह को सही करने में योगदान दिया है। भरतपुर की जनता करीब तीन साल से मेला घूमने की उम्मीद कर रही थी। लेकिन भारी बारिश ने व्यापारियों व आम लोगों की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया था।

RAJASTHAN KNOWLEDGE CORPORATION LIMITED
7-A, Jhalana Institutional Area, Behind RTO, Jaipur-302004

NIB No. RKCL/22-23/699 Date : 12.10.2022

NOTICE INVITING E-BID

RKCL Invites application for Shortlisting eligible FM Radio stations for empanelment with RKCL invited from interested bidders. Particulars of bid may be visited on the procurement portals **(https://eproc.rajasthan.gov.in/, (https://sppp.rajasthan.gov.in)** of the state; and **www.rkcl.in.**

UBN No. :- KCL2223SSOB00013
MD, RKCL

ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच पति पांच हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

बून्दी, (निसं)। देई थाना क्षेत्र के डोकून पंचायत में घर का पट्टा बनाने कि ऐवज में ग्राम विकास अधिकारी ओर सरपंच पति को कोटा एसीबी ने पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच पति द्वारा लगातार पीड़ित से रिश्वत की मांग की जा रही थी। जिस पर पीड़ित ने

■ **घर का पट्टा बनाने की ऐवज में रिश्वत ली**

अलग-अलग समय में करीब बीस हजार पांच सौ रुपए पहले ही ग्राम विकास अधिकारी ओर सरपंच पति को पट्टा बनाने के लिए दे दिये थे लेकिन फिर भी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पट्टा नहीं बनाया गया तथा दस हजार रुपए सरपंच पति के लिए रिश्वत मांगी। रिश्वत के दस हजार रुपए और देने पर पट्टा बनाने के लिए तैयार हो गए। जिस पर पीड़ित ने कोटा एसीबी टीम को सूचना दी।

कोटा एसीबी की गिरफ्त में रिश्वत के आरोपी ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच पति।

बुधवार को एसीबी टीम ने डोकुन पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी राजेन्द्र बैरागी ओर सरपंच पति को देई कस्बे में सरपंच पति के भाई की मेडिकल की दुकान पर पीड़ित से पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।

डॉ. रमेश बैरवा को आयुक्त कॉलेज शिक्षा ने किया एपीओ

जयपुर, (कासं)। बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर में राजनीति विज्ञान के सह आचार्य एवं रुक्टा डेमोक्रेटिक के प्रदेश संयोजक डॉ.रमेश बैरवा ने बताया है कि आयुक्त कॉलेज शिक्षा ने प्रशासनिक कारणों से इन्हें आदेश की प्रतीक्षा में एपीओ कर दिया है। इनका मुख्यालय कार्यालय सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय बीकानेर रखा है।

डॉ.रमेश बैरवा ने आक्रोश प्रकट किया है कि कॉलेज शिक्षा में सुधार के लिए जातिगत भेदभाव, दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार एवं व्यभिचार के खिलाफ आवाज उठाई तो द्वैषतावश, बौखलाहट में एपीओ कर दिया है। मुख्यालय बहुत दूर 500 किलोमीटर कर दिया।

इन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना एकतरफा मनमानी कार्रवाई की गई है। इनके द्वारा पेश सबूतों को नजरअंदाज कर दिया। मनोबल तोड़ने की नापाक कोशिश की है। कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ करनी थी लेकिन इनके खिलाफ कर दी। कॉलेज शिक्षा में जातिगत भेदभाव एवं उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, व्यभिचार के खिलाफ आवाज और तेज होगी। शिक्षक हित में प्रयास और तेज होंगे। सच्चाई की जीत होगी।

■ **कॉलेज शिक्षा में सुधार के लिए आवाज उठाने पर द्वैषतावश की कार्रवाईः डॉ. रमेश बैरवा**

■ **सुनवाई का अवसर दिए बिना एक तरफा कार्रवाई करने का लगाया आरोप**

14 राजपत्रित अधिकारी अनुपस्थित मिले

करौली, (नि.स.)। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के शासन उपसचिव एवं अतिरिक्त निदेशक निरीक्षण कल्लाराम मीणा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा जिला मुख्यालय, उपखंड स्तर पर स्थित कार्यालयों की 76 उपस्थिति पंजिकाओं को मौके पर लिया गया उक्त कार्यालयों मे 76 राजपत्रित अधिकारियों में से 14 एवं 586 अराजपत्रित कार्मिकों में से 55 कार्मिक अनुपस्थित पाये गये। अतिरिक्त निदेशक ने बताया कि अनुपस्थित कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की रिपोर्ट उच्च स्तर पर प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण दल द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद, शिकायतों के संबंध में विभागीय स्तर पर किये गये निस्तारण का भौतिक सत्यापन भी गुणवत्ता के दृष्टिकोण से करने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि इसके अलावा लम्बित विधानसभा प्रश्न, आरटीआई आवेदन व लम्बित प्रकरणों आदि का भौतिक निरीक्षण किया गया। राज्य स्तरीय निरीक्षण दल ने प्रातः 9:40 से 10 बजे तक कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR
D.B./S.B. Civil Writ Petition No....../2022
Any person vying for recruitment in the Permanent Vacancies for the post of Bank Guard in State Bank of India at various branches in Rajasthan Vs. State Bank of India
Application under Rule 159 of Rajasthan High Court Rules for entering in to Caveat

MAY IT PLEASE YOUR LORDHSIPS: Your Lordship's humble applicant wants to enter into caveat under Rule 159 of the Rajasthan High Court Rules &that nothing be done till the applicant is heard in the matter. The particulars of the Civil Writ Petition which is likely to be filed are given below. The D.B./S.B. Civil Writ Petition may be filed by the following: 1. Any person vying for recruitment in the Permanent Vacancies for the post of Bank Guard in State Bank of India at various branches in Rajasthan That the D.B./S.B. Civil Writ Petition is likely to be filed against: **1.** State Bank of India, A Body Corporate Constituted Under The State Bank of India Act, 1955, Having Central Office at Madam Cama Road, Nariman Point, Mumbai through its Chairman: **2.** Deputy General Manager (Industrial Relations). SBI Industrial Relations Department, Corporate Centre, State Bank Bhawan. Madam Cama Road, Nariman Point, Mumbai **3.** State Bank Of India. Local Head Office, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur through Chief General Manager **4.** Assistant General Manager (HR), State Bank Of India, Local Head Office, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur That the D.B./S.B. Civil Writ Petition may be filed by the person above named challenging the Revised Guidelines for Recruitment of Bank Guards and inter se communications made between Respondent Bank and Department of Sainik Welfare, Rajya Sainik Board, Rajasthan dated 26.02.2020 and 24.01.2022 in relation with the Recruitment of Ex-Servicemen in Permanent Vacancies of Bank Guards at Various Branches in Rajasthan, and the petitioner(s) may attempt to obtain an ex-parte interim stay or such other and further ex-parte interim/final order(s), which the Hon'ble High Court may kindly not pass without hearing the humble applicant. The Vakalatnama on behalf of the above applicant/s signed by Mr. Harish Kumar Rajpal S/o Shri Madan Mohan, presently working as Assistant General Manager (HR), Human Resource Department, Local Head Office, State Bank Of India, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur, is submitted here with. It is, therefore, humbly prayed that nothing be done in the case till the Applicant is heard.

JODHPUR **HUMBLE CAVEATOR**
Date **Through his Counsels**
Dr. Pramila Acharya / Chayan Bothra

अलवर शहर के वार्ड 18 की महिलाएं हाथों में मटके, बाल्टी और खाली ड्रम लेकर बुधवार सुबह मालाखेडा बाजार में पहुंची और जाम लगा दिया। महिलाओं का आरोप था कि पहले भी शिकायत कर चुके हैं लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। महिलाओं के हाथ में गंदे पानी की बोतल भी थी और उनका कहना था कि एक बार अफसर भी अपने बच्चों को यही पानी पिलाएं। ताकि उनको आमजन की तकलीफ का अहसास हो। इन दिनों अलवर शहर में जलदाय विभाग की ओर से पानी की समस्या को लेकर समाधान शिविर भी लगाए हुए हैं ताकि जनता की समस्या का जल्दी समाधान हो सके।

मंत्री जाटव ने अपना घर में मनाया जन्मदिन

भरतपुर, (निस)। सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री भजन लाल जाटव ने अपना घर में आवासित आश्रयहीन, असहाय, बेसहारा पीड़ित प्रभुजनों के मध्य 54वॉं जन्मदिवस केक काटकर सादगीपूर्वक तरीके से मनाया। सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री जाटव ने कहा कि जिसका दुनिया में कोई नहीं उसका अपना घर आश्रय स्थल है। उन्होंने समाज के सक्षम लोगों का आव्हान किया कि वे इस संस्था के माध्यम से जुड़कर पीड़ित मानव सेवा में अपना सक्रिय योगदान दें। इस अवसर पर उन्होंने अपने आराध्य देव का भोग लगाकर प्रभुजनों को प्रसाद वितरण कराया। इससे पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री भजन लाल जाटव का स्थानीय सर्किट हाउस में विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने फूल माला, साफा एवं प्रतीक चिन्ह देकर जन्मदिन की बधाई दी। इस अवसर पर नगर निगम के महापौर व एडीएम शहर आदि मौजूद रहे।

अनशनकारी किसान की तबियत बिगड़ी

अनूपगढ़, (निसं)। ग्राम पंचायत 9 एलएम में लुनिया माइनर पर एनडी माइनर और लुनिया माइनर के मोघो का साइज सही करने और निर्धारित मात्रा में सिंचाई पानी उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के तहत किसान अनशन पर बैठे हैं।

देर रात अनशनकारी देवीलाल भादु की तबीयत बिगड़ गई। प्रशासन ने देवीलाल भादु को चिकित्सालय में भर्ती होने की सलाह दी मगर किसान धरना स्थल पर ही इलाज करवाने की मांग पर अड़े रहे। ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष मदन श्योराण ने जानकारी देते हुए बताया कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा लूनिया माइनर और एनडी माइनर के मोघो का साइज छोटा कर दिया गया है। मोघों का साइज छोटा करने के कारण किसानों ने पूर्व में भी आंदोलन किया था। किसानों के आंदोलन के चलते प्रशासन के द्वारा किसानों को आश्वासन दिया गया था कि लूनिया माइनर और एनडी माइनर के मोघो का साइज सही करवा दिया जाएगा। मगर प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गयी।

■ **मोघों का साइज सही करने और निर्धारित मात्रा में पानी उपलब्ध करवाने की मांग कर रहे हैं किसान**

प्रशासन के द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद समस्या का समाधान नहीं होने के कारण किसानों ने 6 दिन पूर्व धरना स्थल पर आमरण अनशन शुरू किया था। ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष मदन श्योराण ने बताया कि प्रशासन के द्वारा तहसीलदार राजेंद्र सिंह चौधरी की देखरेख में अनशनकारियों के स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया था और देर रात अनशन कारी देवीलाल भादु की तबीयत बिगड़ गई। ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष मदन श्योराण ने बताया कि जब तक प्रशासन के द्वारा किसानों की मांग नहीं मान ली जाती किसान धरना स्थल पर से नहीं हटेंगे।

कार्यालय नगर पालिका छबडा जिला बारां (राज0)
E Mail ID-npchhabra5@gmail.com Phone No-07452-222025

कमांक ::- न0पा0छ0/निर्माण/2022/11760 दिनांक ::- 07.10.2022

ई-निविदा 11607/2022-23
NIB code- DLB2223A5462

नगर पालिका छबड़ा की ओर से कुल 10 निमार्ण कार्यो के लिए 287.06 लाख रूपयो की लागत से उपयुक्त श्रेणी में स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोंक निमार्ण विभाग/डाक एवं दुर संचार विभाग रेल्वे इत्यादि में पंजिकृत सवेंदको, जो कि राजस्थान सरकार के सक्षम श्रेणी के संवदेंको के समकक्ष हो से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेन्डरिंग प्रकिया द्वारा ऑनलाईन ई-निविदा दिनॉक 06.10.2022 को साय 4.00 बजे से दिनॉक 17.10.2022 को दोपहर 4.00 बजे तक आमत्रिंत की जाती हैं। ई-निविदा से संबंधित विवरण वेबसाईट:-www.eproc.rajasthan.gov. एवं www.sppp.rajasthan.nic.in पर देखे व डाउनलोड किये जा सकते हैं।

S.No	UBN No	S.No	UBN No
1	DLB2223WSOB17637	6	DLB2223WSOB17642
2	DLB2223WSOB17638	7	DLB2223WSOB17643
3	DLB2223WSOB17639	8	DLB2223WSOB17644
4	DLB2223WSOB17640	9	DLB2223WSOB17645
5	DLB2223WSOB17641	10	DLB2223WSOB17646

राज.संवाद/सी/22/9005 अधिशाषी अधिकारी

बस-मोटरसाईकिल की टक्कर में तीन की मौत

गलत साइड में गई लोक परिवहन बस के टायर में मोटरसाइकिल फंसी हुई मिली

सड़क हादसे के बाद पुलिस ने मौका मुआयना किया। इस दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई।

टोंक, (निसं)। सदर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 बाडाजेरेकिला पालडी कट पर लोकपरिवहन बस एवं मोटरसाईकिल की हुई जोरदार टक्कर में तीन जनो की दर्दनाक मौत हो गई।

पुलिस थाना सदर के थानाधिकारी ने बताया कि 12 अक्टूबर को प्रातः 10.55 पर जरिए टेलीफोन थाने पर मिली सूचना पर पुलिस थानाधिकारी सदर मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे। जहां पर एक लोकपरिवहन बस व मोटरसाईकिल क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली और मोटरसाईकिल बस के टायरो में फंसी हुई थी और बस गलत साईड खडी हुई थी।

मामले की जानकारी एएसपी भवानी सिंह राठौड व पुलिस उपाधीक्षक सलेह मोहम्मद भी मौके पर पहुंचे। घटना स्थल पर एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ था व एक व्यक्ति व एक महिला गंभीर रुप से घायल थे जिनको तुंरत एंबुलेंस से सआदत अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डाक्टरों ने तीनो को मृतक घोषित कर दिया।

इस दुर्घटना में राधाकिशन पुत्र अमरा जाट, महराम पुत्र रामदेव जाट व चाहू देवी पत्नी राधाकिशन जाट निवासियान पालडी पुलिस थाना मेहंदवास की मौत होने पर पुलिस ने तीनों के शवों के पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनो को सौंपा दिए और पुलिस कार्यवाही शुरु की।

टैक्सी और टैंकर की भिड़ंत में एक ही परिवार के तीन की मौत

बीकानेर, (कासं)। गंगाशहर थाना क्षेत्र में नेशनल हाइवे पर टैक्सी और टैंकर की भिड़ंत में तीन जनों की मौत हो गई, जबकि कुछ यात्री घायल हो गए, जिन्हें पीबीएम अस्पताल के ट्रोमा सेंटर पहुंचाया गया। दो की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि तीसरे ने पीबीएम अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद ट्रोमा सेंटर में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देशनोक निवासी सुंदरलाल भूरा और उनकी पत्नी राजूदेवी अपने परिजनों के साथ टैक्सी में जा रहे थे कि सामने से आ रहे एक टैंकर ने जबर्दस्त टक्कर मार दी। इस हादसे में पति-पत्नी दोनों की मौत हो गई। इनके साथ ही सफर कर रहे परिवार के एक अन्य सदस्य झंवरलाल जैन की भी मौत हो गई है। तीनों देशनोक के रहने वाले हैं। वहीं एक अन्य सदस्य निकिता भूरा पुत्री शिखर भूरा इस हादसे में गंभीर घायल हो गई है। टैक्सी चालक को भी गंभीर चोट आई है। इन दोनों को ट्रोमा सेंटर में भर्ती किया गया है। एक्सीडेंट होते ही इस व्यस्ततम मार्ग पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए।

कार्यालय नगर परिषद, दौसा (राजस्थान)

क्रमांकःन.प.दौ/निर्माण/2022/10078 दिनांक : 07.10.2022

ई-निविदा सूचना/2022

नगर परिषद, दौसा द्वारा नगर परिषद कोष के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य करवाये जाने हेतु कार्यालय नगर परिषद दौसा एवं इस कार्यालय से सम्बन्धित विभाग (अभियान्त्रिकी, स्वायत्त शासन विभाग) में पंजीकृत संवेदकों के अलावा अन्य विभाग के उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से (पंजीकरण नियम Appendix XVI Rule 334 के सेक्शन II के अनुसार) निविदाऐं आमन्त्रित की जाती है। निविदा फार्म ऑनलाईन वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in व http://www.sppp.rajasthan.nic.in/ से Download/Upload की जा सकती है :-

निविदा के कुल कार्यों की संख्या	निविदा प्रकाशन तिथि	निविदा Download/ Upload करने की अंतिम दिनांक एवं समय	प्रोसेसिंग शुल्क, निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि भौतिक रूप में जमा कराने की दिनांक व समय	ऑनलाईन निविदा की बिड खोलने की दिनांक व समय	UBN No.
03	08.10.2022	17.10.2022 सांय 6:00 बजे तक	18.10.2022 11:00 एएम तक	18.10.2022 दोपहर 2:00 बजे पश्चात्।	DLB2223WSOB17796, 17797, 17798

राज.संवाद/सी/22/9011 आयुक्त, नगर परिषद, दौसा

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR
S. B./ D.B. CIVIL WRIT PETITION NO. ..../2022
ANY PERSON/ ASSOCIATION
V/S
CHAIRMAN NEET-UG/PG ADMISSION/ COUNSELING BOARD-2022
APPLICATION ENTERING INTO CAVEAT

MAY PLEASE YOUR LORDSHIPS:

Your lordship's humble applicant wants to enter into caveat prays that let nothing be done till the applicants are heard in the matter.

That particular of the Writ Petition which is likely to be filed are given below:-

Any Person / Association
VERSUS
Chairman, NEET-UG/PG Admission/ Counseling Board-2022, Govt. Dental College, (RUHS College of Dental Sciences), Subhash Nagar, Behind TB Hospital, Jaipur Rajasthan.

That the Writ Petition is likely to be filed in the matter of Notification No. State PG Counseling Board/2022 dated 13.09.2022 whereby, schedule for State Medical PG Seats (MD/MS)/Post MBBS DNB/Post MBBS Diploma Allotments 2022 has been issued and Notification No. State UG Counseling Board/2022 dated 07.10.2022 whereby, schedule for admission in MBBS/ BDS Courses in the State of Rajasthan has been issued.

The vakalatnama of Dr. Bharat Sankhla, Associate Professor, Govt. Dental College, (RUHS College of Dental Sciences), Jaipur on behalf of the Chairman NEET UG/PG Admission/Counseling Board-2022, is submitted herewith.

That it is therefore, humbly prayed that nothing be done in the matter till the applicants are heard.

Humble Applicant
Through
(MANISH VYAS)
ADDITIONAL ADVOCATE GENERAL